

प्रषक.

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

देहरादून: दिनांक 08.10.2014

विषय:- प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु गामों में रास्ते पर ऑप्टिकल फाइबर (OFC) बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा स्पेशल परपज वेहिकल में एक में नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का भ्रमण किया गया है। उक्त परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्रति सलन) का हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

2 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएँ लागू किये जाने का निणय लिया गया है:-

(1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल फाइबर कॉबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले भूमि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमति प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को दूर हो प्रवेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन की इम्लोमेंटेशन के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमति न लेनी पड़े, इस हेतु ब्लैंकट अप्रूवल एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइबर कॉबिल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमति एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भी रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(2) उक्त समझौता ज्ञापन के प्रस्तर- 52 में की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रा. संघायत एवं ऑप्टिकल फाइबर कॉबिल बिछाने में सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस भौति किया जायेगा कि सड़क के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल स्थिति में लें आई जाए। सड़क की कटान को ठीक करने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा। पक्की सड़क

Encl. No: — UCD/CFR/NOFN/Tanwar (am)/13-14/24

DT-19/8/14

Copy to: — ① All SSA Heads & UCD Circle & Info. & ② 9, 11.

③ DGM (IT-II) Dehradun for info. & ④ 9, 11.

सहायक महाप्रबंधक (टी.ए.ए.ए.)
कार्या. मुख्य महाप्रबंधक (टी.ए.ए.ए.)
उत्तराखण्ड दूरसंचार परिमंडल, दे

को पार करने के लिए एचडी0 अथवा होमजन्टल वोरिंग का प्रयोग किया जायेगा ताकि राइड को जल वाली जमीन को जल से जोड़ा जा सके।

(3) परियोजना के प्रत्याभूति हेतु भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ समन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

(4) चूंकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना स्थानीय जनता ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के हित में है अतः राज्य सरकार के स्थानीय निकाय राज्य सरकार की कमानेयो तथा एंजेंसियों द्वारा राइट ऑफ वे (ROW) वाले जल अधिरोपित नहीं करे जायेंगे। इस परियोजना में राज्य सरकार का प्रश्रयान माना जायेगा।

(5) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राज्य सरकार का वितरण कंपनियों/पारेपण कंपनियों द्वारा वितरण लाइनों/पारेपण लाइनों/उप पारेपण लाइनों पर शुल्क सहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।

(6) परियोजना से सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना/उपकरणों को रखने के लिए यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं बिजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे स्थानों पर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।

(7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विघ्न सफल एवं सुचारु रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:-

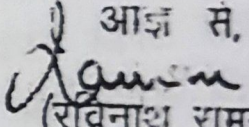
- | | |
|---|------------|
| 1- जिलाधिकारी- | अध्यक्ष |
| 2-मुख्य विकास अधिकारी- | उपस्थ सचिव |
| 3-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग- | सदस्य |
| 4-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा- | सदस्य |
| 5-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विद्युत विभाग- | सदस्य |
| 6-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग- | सदस्य |
| 7-अधिशाली अभियन्ता/जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, पेयजल विभाग- | सदस्य |
| 8-प्रभागीय वनाधिकारी- | सदस्य |
| 9-जिलापंचायतों का अधिकारी- | सदस्य |
| 10-सम्बन्धित मुख्य गार अधिकारी/गार अधिकारी- | सदस्य |
| 11-अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित- | सदस्य |
- सलग्नक -- यथोक्त।

भारत
(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0 उत्तराखण्ड शासन।
3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
4. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड देहरादून।
6. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव